बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
द्वितीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना-23, बिहार ✉-scpsbihar@gmail.com; ☎-0612 2545033

पत्रांक-05 / रा0बा0सं0स0(CNCP)-01 / 2015-अंश-2- 65

प्रेषक,

सुनील कुमार, भा0प्र0से0,
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
बिहार।

पटना, दिनांक- 29/01/2018

विषयः- संशोधित अधिसूचना के अनुसार परवरिश योजना का लाभ लाभुकों देने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा ज्ञापांक-5721, दिनांक-27.11.2017 द्वारा परवरिश योजना में संशोधन किया गया है (प्रति संलग्न)।

अतः निदेश दिया जाता है कि संशोधित अधिसूचना के आलोक में परवरिश योजना का लाभ लाभुकों को देना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन
29.1.18
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 27.11.17

संख्या-03/यो0-29/2017 ......5791...... राज्य के अन्तर्गत अनाथ, बेसहारा, दुसाध्य रोगों से पीडित रोगों तथा इन दुसाध्य रोगों से पीड़ित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण आदि एवं बाल अधिकारों एवं संरक्षण हेतु पूर्व से चली आ रही योजनाओं को यथासंशोधित करते हुए योजना एवं विकास के ज्ञापांक 195 (लो0वि0)/यो0वि0, पटना दिनांक 01.11.2017 द्वारा लोक वित समिति की अनुशंसा एवं दिनांक 21.11.2017 को मंत्रिपरिषद द्वारा संचिका संख्या- 03/यो0-29/2017 के पृष्ट संख्या-7/टि0 पर प्राप्त स्वीकृति के आलोक में मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस छत्र योजना के अन्तर्गत पूर्व से संचालित योजनाओं को यथासंशोधित किया गया है तथा अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेगी। योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु योजना का प्रशासी विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदेश निर्गत किया जायेगा। मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना निम्न प्रकार है-

2. उद्देश्य

इस छत्र-योजना का उद्देश्य अनिवार्य सेवाओं यथा, आपातकालीन पहुंच, संस्थागत देखभाल, परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श एवं समर्थन सेवाओं की राज्य एवं जिला स्तरों पर स्थापित करना तथा बाल अधिकारों एवं संरक्षण विषय पर आमजनो को जागरूक करना तथा सभी मौजूदा बाल संरक्षण सेवाओं, योजनाओं और हर स्तर की संरचनाओं की जानकारी देना तथा अनाथ, बेसहारा, दुसाघ्य रोगों से पीडित बच्चों तथा इन दुसाघ्य रोगों से पीडित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एम.आई.एस. और बाल ट्रैकिंग प्रणाली सहित बाल संरक्षण आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली की प्रक्रिया का सृजन करना तथा कार्य करने के सभी स्तरों पर प्रशासकों तथा सेवा प्रदाताओं सहित सभी पदाधिकारियों जिनमें स्थानीय निकायों, पुलिस, न्यायपालिका और अन्य को आइ.सी.पी.एस. के तहत् दायित्व लेने के लिए प्रशिक्षण देकर क्षमताएं बढ़ाना है।

3. छत्र योजना का विवरण-

इस छत्र-योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी:-

3.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

(i) राज्य बाल संरक्षण समिति एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण- इस योजना के अंतर्गत सभी घटकों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जायेगा एवं

दत्तकग्रहण सहित सभी गैर-संस्थानिक देखभाल से संबंधित सभी योजना घटकों की स्थापना, संचालन तथा अनुश्रवण राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(ii) जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अनुश्रवण एवं निगरानी समितियॉ - जिला स्तर पर इस छत्र-योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करेगी एवं जिलों में जिला परिषद् अध्यक्ष की अध्यक्षता तथा जिला पदाधिकारी की सह अध्यक्षता में योजना के अनुश्रवण हेतु जिला बाल संरक्षण कमिटी तथा सभी प्रखण्ड, ग्राम पंचायत एवं वार्ड में भी बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर निषेधात्मक कार्रवाई करने हेतु बाल संरक्षण समितियॉ गठित की जायेंगी।

(iii) बाल देखरेख संस्थान का संचालन- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (18 वर्ष से कम आयु वर्ग) हेतु जिलों में बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं खुला आश्रय का संचालन किया जायेगा एवं विधि विवादित बच्चों हेतु पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित स्थान का संचालन किया जायेगा।

(iv) गैर संस्थानिक कार्यक्रम- दत्तक ग्रहण, क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल तथा उत्तर रक्षा कार्यक्रम का संचालन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

(v) किशोर न्याय परिषद्, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं चाईल्डलाईन कार्यरत है। सभी जिलों में विधि विवादित बच्चों के मामलों में संज्ञान लेने हेतु किशोर न्याय परिषद् तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने, हिंसा, दुर्व्यवहार आदि से बचाने तथा बच्चों से संबंधित मामलों में जॉच करने के लिए सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस का गठन किया जायेगा एवं विषम परिस्थिति में पाये जाने वाले बच्चों की सहायता हेतु आपातकालीन सेवा चाइल्डलाईन (टॉल फ्री न0 1098) संचालित की जायेगी।

3.2 परवरिश योजना

अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दु:साध्य रोग से पीड़ित (एच.आई.वी./एड्स एवं कुष्ठ) बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता-पिता के संतान के बेहतर पालन-पोषण हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जायेगा।

4. निधि का संवितरण

निधि का संवितरण निम्नवत किया जायेगा-:

4.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई, सरकार द्वारा संचालित पर्यवेक्षण/विशेष/बाल गृह /सुरक्षित स्थान का संधारण एवं पर्यवेक्षण/बाल गृह का निर्माण मद में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60:40 प्रतिशत एवं किशोर न्याय परिषद/बाल कल्याण समिति मद में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 35:65 प्रतिशत तथा स्वयंसेवी संस्थान द्वारा